न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/481

कंवर लाल उम्र 75 साल आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति गुर्जर निवासी फाटाखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कन्या बाई पुत्री कन्हैया लाल पत्नी नन्दलाल जाति गुर्जर निवासी फाटाखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सजन बाई पुत्री कन्हैया लाल गुर्जर निवासी कोदियाखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. विष्णु कुमार मित्तल आत्मज कन्हैया लाल मित्तल मकान नम्बर ए/582 इन्द्रा विहार कोटा ।
4. श्रीमती सत्येन्द्र कौर बेदी पत्नी अरविन्द बेदी जाति सिक्ख निवासी मकान नं0 854 शास्त्री नगर, कोटा ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फाटाखेडा तहसील लाडपुरा में कुल 07 किता की 59 बीघा भूमि स्थित है । उक्त आराजी में वादीगण के पिता का 1/3 हिस्सा जो कन्हैया लाल की मृत्यु के बाद केवल मात्र प्रतिवादी कम 1 व कस्तूरी बाई के नाम दर्ज किया गया । इसी प्रकार ग्राम हरिपुरा तहसील लाडपुरा में कुल 12 किता की 16.08 हैक्टर आराजी स्थित है । ग्राम हरिपुरा स्थित आराजी का इंतकाल कन्हैया लाल जी के सभी वारिसान के नाम दर्ज किया जिसमें वादीगण का नाम भी दर्ज किया गया । कस्तुरी बाई की मृत्यु के बाद भी कस्तूरी बाई की वादीगण जायन्दा पुत्रियॉ होने के बाद भी इंतकाल केवल मात्र प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज किया गया जो वादीगण के हितों के विपरीत होने से अवैध व शून्य है ।

प्रतिवादी कम 01 के कहने पर ग्राम हरिपुरा की आराजी में से निहित हिस्सा 1/6 का बेचान कर दिया । ग्राम फाटाखेडा में स्थित आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 70, 15, 86, 96, 143, 15/195 कायम हुए और उक्त भूमि प्रतिवादी कम 01 के नाम दर्ज हुई । प्रतिवादी कम 01 ने अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज का अनुचित फायदा उठाते हुए खसरा नम्बर 86 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.31 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से प्रतिवादी कम 02 को बेचान कर दी । इसी प्रकार प्रतिवादी कम 01 ने खसरा नम्बर 15/195 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.75 हैक्टर आराजी को जरिये पंजीकृत बेचान पत्र से प्रतिवादी कम 03 को बेचान कर दिया । प्रतिवादी कम 1 शेष आराजी को भी बेचान करने पर आमादा हैं । वादीगण कन्हैया लाल की जायन्दा पुत्रियॉ होने से प्रतिवादी कम 01 के सामान हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिनी हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद डिकी किया जाकर वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि ग्राम फाटाखेडा तहसील लाडपुरा की वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को 2/3 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के साथ सहखातेदार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 02 व 3 के द्वारा प्रतिवादी कम 01 के हिस्से से अधिक कय हिस्से को वादीगण के हितों के विपरीत अवैध व शून्य मानकर प्रतिवादी कम 01 को प्राप्त 1/3 हिस्से वाली प्रतिवादी कम 2 व 3 के हिस्से में मानी जावे । वादीगण का 2/3 हिस्से का खाता अलग–अलग किया जावे। वादीगण को प्राप्त 2/3 हिस्से पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर पृथक से कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम फाटाखेडा स्थित आराजी को खुर्द–बुर्द नहीं करे किस्म परिवर्तन नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें ।

4. प्रतिवादी कम 1 से 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.08.2012 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिकी कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.08.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 का अपीलान्ट द्वारा जो विकय पत्र आलेखित किये हैं वे रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 की सहमति से किये हैं तथा उनके विकय पत्र से प्राप्त प्रतिफल की राशि में से दोनों ने अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था और अपना हिस्सा छोड दिया था किन्तु उसके बाद भी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने मन में बदयान्ति आ जाने से यह दावा किया है जो गलत है । रेस्पोडेन्ट कम 2 व 4 को विकय करने के बाद जो हिस्सा शेष था उसमें अपीलान्ट का हिस्सा समाप्त करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट का भी हिस्सा शेष भूमि में निहित है । अंतिम डिकी अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं बनायी गयी है । अंतिम डिकी पारित करने से पूर्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की जानकारी रेस्पोडेन्ट के वकील ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहॉ जैराकर अपील में दिनांक 06.09.2017 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति पेश की जब उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल दिनांक 14.09.2017 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण कम 3 व 4 ने अपीलान्ट के द्वारा जो विक्रय पत्र आलेखित किये हैं वे रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 की सहमति से किये हैं तथा उनके विक्रय पत्र से प्राप्त प्रतिफल की राशि में से दोनों ने अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया था और अपना हिस्सा छोड दिया था । गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है । रेस्पोडेन्ट कम 2 व 4 को विक्रय करने के बाद जो हिस्सा शेष था उसमे अपीलान्ट का हिस्सा समाप्त करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री पारित की गई है । नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है जो सीपीसी की पालना में अनिवार्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2003 (1) पेज 709, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1990 पेज 479 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । वादग्रस्त आराजी कन्हैया लाल के खाते की थी और वादीगण कन्हैया लाल की पुत्री होने के नाते इसमें सहखातेदार दर्ज होने की अधिकारिनी थी । प्रतिवादी कंवरलाल ने गलत रूप से सम्पूर्ण आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली है ओर गलत रूप से अपने हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय कर दिया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट कंवर लाल का 1/3 हिस्सा ही निहित है और उन्होंने अपने हिस्से से अधिक का बेचान कर रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से उनका हिस्सा कम किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की विधि सम्मत रूप से तामील करवायी थी और उनके द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया था परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई और दिनांक 30.07.2012 को उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । इसके उपरान्त दिनांक 07.08.2012 को बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया है । सन् 2012 में पारित निर्णय के खिलाफ सन् 2017 में अपील पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2012 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में

आरआरटी 2014 (1) पेज 154, डीएनजे (राज0) 1996 पेज 738, आरबीजे 2012 पेज 686, आरबीजे 2010 पेज 290, आरआरटी 2018 (2) पेज 879 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 23.07.2012 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है टौर इसके उपरान्त बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलाधीन निर्णय में पृष्ठ संख्या 05 के बाद और अंतिम पृष्ठ से पूर्व के कुछ पृष्ठ शामिल नहीं किये गये हैं क्योंकि पृष्ठ संख्या 05 के अंतिम पैराग्राफ में प्रतिवादी कम 03 विष्णु कुमार एवं वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 23.02.2012 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् अंकित किया गया है – और बाद का पृष्ठ जो कि अंतिम पृष्ठ है उसमें कर देने से अब कोई अधिकार शेष नहीं रहते हैं – अंकित किया गया है । इन दोनों में निरन्तरता प्रतीत नहीं होती है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशिका दिनांक 18.05.2009 के अनुसार तनकीयात कायम की गई हैं । जब दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाती हैं तो सीपीसी की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

13. जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है, अपील विलम्ब से पेश की गई है और अपील के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश किया गया है और निर्णय जैसा कि पैरा संख्या 13 में विवेचन किया गया है सीपीसी की पालना में तनकीवार पारित नहीं किया गया है और न ही अंतिम पृष्ठ और पृष्ठ संख्या 05 के मध्य निरन्तरता है जिससे अपीलाधीन निर्णय अपूर्ण प्रतीत होता है और ऐसा निर्णय जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत हो उसमें मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 1992 पेज 17 यहॉ चस्पा होती है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में विलम्ब का शमन कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.08.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा